प्राक्कथन

राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाने हेतु छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में वर्ष 2015–16 से 2019–20 की अवधि को शामिल करते हुए 'छत्तीसगढ़ में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को शामिल किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उन मामलों का उल्लेख किया गया है जो नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए।

लेखापरीक्षा का कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरुप किया गया है।